"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 27] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 2 जुलाई 2021—आषाढ़ 11, शक 1943

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 21 अप्रैल 2021

क्रमांक ई 1-01/2021/एक-2.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री अभिषेक शर्मा, भा.प्र.से. (2018), अनुविभागीय अधिकारी, कटघोरा, जिला-कोरबा को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त सहायक कलेक्टर, कोरबा के पद पर पदस्थ करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. सिंह, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2021.

जनसंपर्क विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 27 मई 2021

संशोधन

क्रमांक एफ 04-05/2019/चौबीस.—छत्तीसगढ़ शासन, जनसम्पर्क विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ संचार प्रतिनिधि कल्याण सहायता नियम-2019, दिनांक 29 नवंबर, 2019 को साधारण राजपत्र प्रकाशित किया गया था. राज्य शासन अब छत्तीसगढ़ संचार प्रतिनिधि कल्याण सहायता नियम, 2019 में निम्न संशोधन करता है :—

कण्डिका-8 : पत्रकार कल्याण सहायता राशि से संचार प्रतिनिधि अथवा आश्रित परिवार के सदस्यों को एक वर्ष में न्यूनतम 10 हजार और अधिकतम 2.00 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जा सकेगी. आकस्मिक मृत्यु की दशा में आर्थिक सहायता रुपए 5.00 लाख होगी.

कण्डिका-8.1 : छत्तीसगढ़ संचार प्रतिनिधि कल्याण सहायता समिति की अनुशंसा पर आयुक्त/संचालक, जनसम्पर्क अधिकतम राशि रुपये 2.00 लाख रुपए तथा आकस्मिक मृत्यु की दशा में रुपए 5.00 लाख तक की आर्थिक सहायता स्वीकृत कर सकेंगे.

कण्डिका-8.4 : आर्थिक सहायता की वित्तीय सीमा

1. पत्रकार की मृत्यु

(अ) एकमुश्त अधिकतम राशि रु. 5.00 लाख

अथवा

(ब) अधिकतम राशि रु. 2.50 लाख तथा रु. 7000/- प्रतिमाह पेंशन आगामी 3 वर्ष तक वैध उत्तराधिकारी को

अथवा

(स) अधिकतम 2 बच्चों को रु. 1500 प्रतिमाह की ट्यूशन फीस कक्षा दसवीं तक रु. 2500/- प्रतिमाह कक्षा बारहवीं तक तथा स्नातक शिक्षा (03 वर्ष के लिए) के लिए प्रतिमाह रु. 3500/- आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि संबंधित बच्चा न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ कक्षा उत्तीर्ण कर रहा हो.

अथवा

(द) अधिकतम राशि रुपए 2.50 लाख की तत्कालिक सहायता एवं आश्रित एक बच्चे के उच्च शिक्षा के लिए अधिकतम 2.50 लाख रुपए.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार मिश्रा, संयुक्त सचिव.

खनिज साधन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 23 मार्च 2021

क्रमांक एफ 7-14/2013/12.—राज्य शासन एतद्द्वारा चीफ कन्ट्रोलर ऑफ माइन्स, भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर के परिपत्र क्रमांक 2/2010, दिनांक 06-04-2010 के पैरा-2 के बिन्दु क्रमांक-2 एवं पत्र दिनांक 21-09-2011 तथा भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 08-10-2014 एवं खनिज (परमाणु और हाइड्रोकार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत नियम, 2016 के नियम, 12 के अनुपालन में Differential Global Positioning System (डीजीपीएस) का उपयोग करते हुए खनिज कोयला को छोड़कर समस्त खनिजों के खनिज रियायतों के

सीमाओं में Pricise Boundary Pillar की स्थापना कर सर्वेक्षण करने के लिए नीचे तालिका के कॉलम नंबर-02 में दर्शित संस्थानों को नवीन अधिमान्यता/नवीनीकरण प्रदान करता है :—

क्र. (1)	आवेदित एजेंसी का नाम एवं पता (2)	रिमार्क (3)
	नवीन अधिमान्यता हेतु अनुशंसित एजेन्सी —	
01.	मेसर्स मार्बल जियोस्पेशल सॉल्युशन प्रायवेट लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना.	खनिज कोयला को छोड़कर राज्य में समस्त खनिजों की खनिज रियायतों से संबंधित DGPS Survey कार्य हेतु.
02.	मेसर्स सुबुद्धि टेक्नोइंजिनियरस् प्रायवेट लिमिटेड, भूवनेश्वर, उड़ीसा.	
03.	मेसर्स टेकडेटम इंफोसर्विस प्रायवेट लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना.	
	नवकरण हेतु अनुशंसित एजेन्सी —	
04.	मेसर्स सोहम फेरो मैगनिज प्रायवेट लिमिटेड, नागपुर, महाराष्ट्र.	खनिज कोयला को छोड़कर राज्य में समस्त खनिजों की खनिज रियायतों से संबंधित DGPS Survey कार्य हेतु.

उपर्युक्त तालिका के सरल क्रमांक-01 से 03 तक संस्थानों को डीजीपीएस सर्वे कार्य किये जाने हेतु नवीन अधिमान्यता प्रदान किये जाने एवं सरल क्रमांक-04 मेसर्स सोहम फेरो मैंगनीज प्रायवेट लिमिटेड को विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 10-11-2017 द्वारा 03 वर्ष की अवधि के लिये सशर्त प्रदान की गई अधिमान्यता की अवधि दिनांक 09-11-2020 को समाप्त हो गई है. अतएव राज्य शासन, एतद्द्वारा अधिमान्यता का नवकरण दिनांक 09-11-2020 से आगामी 03 वर्ष के लिये नीचे उल्लिखित शर्तों के अधीन प्रदान करती है.

2. अधिमान्यता प्राप्त संस्थानों के लिए निम्नानुसार शर्तें निर्धारित की गई है :—

1. Each cornor of the lease area shall have a boundary pillar (corner pillar).
2. There shall be erected intermediate boundary pillars between the corner pillars in such a way that each pillar is visible from the adjacent pillar located on either side of it:
3. The distance between two adjacent pillars shall not be more than fifty meters;
4. The pillar shall be of square pytamid frustum shaped above the surface and cuboid shaped below the surface;
5. Each pillars shall be of reinforced cement concrete;
6. The corner pillar shall have a base of 0.3m x 0.3m and height of 1.30m of which 0.70m shall be above ground level and 0.60m below the ground;
7. The intermediate pillars shall have a base of 0.25m x 0.25m and height of 1.0m of which 0.70m shall be above ground level and 0.30m below the ground;
8. All pillars shall be painted in yellow colour and the top ten centimeters in red colour by enamel paint and shall be grouted with cement concrete.
9. On all corner pillars, distance and being to the forward and backward pillars and latitude and longitude shall be marked.
10. Each pillar shall have serial number in a clockwise direction and the number shall be engraved on the pillarss;
11. The number of pillars shall be the numbers of the individual pillar upon the total number of pillars in the lease;

12. The tip of all the corner boundary pillars shall be a square of 15 centimeter on which a permanent circle of 10 centimeter diameter shall be drawn by paint or engraved and the actual boundary point shall be intersection of two diameters drawn at 90 degrees.

13. The lease boundary survey shall be accurate within such limits of error as the Control General, Indian Bureau of Mines may specify in this behalf;

14. The loacation and number of the pillars shall also be shown in the surface and other plans maintained by the lessee: and

15. In case of forest area within the laese, the size and construction and colour of the boundary pillars shall be as per the norms specified by the Forest Department in this behalf.

16. The Survey Agency shall be responsible for the accuracy of the data collected during Survey.

17. Coordinates of boundary pillars shall be established in the world Geodetic System 1984 (WGS-84) Datum.

18. डीजीपीएस सर्वे कार्य हेतु पारिश्रमिक का निर्धारण अधिमान्यता प्राप्त संस्थान एवं खनिज रियायतधारी के मध्य आपसी समन्वय से किया जायेगा. किसी भी प्रकार का आपसी विवाद होने पर राज्य शासन उत्तरदायी नहीं होगा.

19. डीजीपीएस सर्वे कार्य के गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर या किसी भी प्रकार की कार्य संबंधी शिकायत पाये जाने पर जांच उपरांत राज्य शासन को यह अधिकार होगा कि उक्त अधिकृत एजेंसी की मान्यता किसी भी समय समाप्त की जा सकती है.

20. डीजीपीएस सर्वे के संबंध में भारतीय खान ब्यूरो/राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन अधिमान्यता प्राप्त संस्थान को करना होगा.

21. राज्य शासन द्वारा जारी यह अधिमान्यता 03 वर्ष के लिए होगी. समयावधि समाप्ति से 03 माह पूर्व अधिकृत एजेंसी नवीनीकरण हेतु आवेदन कर सकेगा.

3. यह अधिमान्यता/नवकरण अधिसूचना के जारी होने की तिथि से 03 वर्ष के लिए ही मान्य होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्बलगन पी. सचिव.

कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 31 मार्च 2021

क्रमांक एफ 1-7/2020/रोज.वि./42.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के माध्यम से राज्य सेवा परीक्षा-2018 के अनुपूरक सूची से चयनित सुश्री श्वेता वर्मा/पिता श्री महेश कुमार वर्मा, ई-9, सी.एस.पी.टी.सी.एल. कॉलोनी, खेदामारा जामुल, दुर्ग को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर छत्तीसगढ़ रोजगार सेवा (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2005 के तहत रोजगार अधिकारी (द्वितीय श्रेणी) के पद पर वेतनमान रुपये मैट्रिक्स लेवल-12 (ग्रेड पे-5400/-) पर नियुक्त करते हुए अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक अध्यापन सह मार्गदर्शन केन्द्र, जगदलपुर में पदस्थ करता है.